<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़</u>

<u>पीठासीन अधिकारी :-श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.</u>

मि0न0 -08/2019

अनवान : -

1. सुरेश कुमार पुत्र श्री रामप्रताप जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

स-प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

-अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र बाबत रिकार्ड दुरूस्ती</u>
<u>अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थिति :-श्री नरेन्द्र शर्मा वकील -प्रार्थी
राजपैरोकार -राज0 सरकार

निर्णय **दिनांक** 22/01/2020

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील भादरा रोही मौजा करनपुरा बारानी के खाता सं0 359/339 में मुश्तर्का खाता में प्रार्थी के पिता की खातेदारी दर्ज है जिसमें प्रार्थी के पिता नाम विरासतन दर्ज करते समय प्रार्थी के पिता का सही नाम रामप्रताप के स्थान पर रामसिंह दर्ज हो गया।

प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का सही एवं वास्तविक नाम रामप्रताप की बजाऐ रामसिंह दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरित असर पड़ता है। जबकि प्रार्थी के परिवार राशनकार्ड, फोटो पहचान पत्र, आधारकार्ड में भी प्रार्थी के पिता का नाम रामप्रताप पुत्र जेसाराम दर्ज है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे साफ रोशन है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत करणपुरा के सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है जो असल ही संलग्न प्रार्थना पत्र किया जा रहा है।

प्रार्थी के पिता का नाम उपरोक्त जमाबन्दी में रामसिंह की बजाऐ रामप्रताप दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरित असर पड़ता है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकता और उसका बेहतर उपयोग उपभोग नहीं कर सकता। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अंकित अपने पिता का नाम सुरेश पुत्र रामसिंह के स्थान पर अपना सही एवं वास्तविक नाम सुरेश पुत्र रामप्रताप दर्ज करा पाने का मजाज कानूनी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने ग्राम करनपुरा बारानी के खाता सं0 359/339 के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता का नाम दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि " **प्रार्थी के पिता का नाम विरासतन दर्ज करते समय प्रार्थी के पिता का सही नाम रामप्रताप के स्थान पर रामसिंह दर्ज हो गया।** " जिसके समर्थन में प्रार्थी ने अपना मुख्य परीक्षा का शपथ पेश कर प्रमाणित प्रति जमाबंदी रोही करनपुरा बारानी खाता

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

सं0 359/339 संवत 2074–77 जो प्रदर्श 1, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत करनपुरा जो प्रदर्श 2, आधार कार्ड प्रार्थी सुरेश कुमार पुत्र श्री रामप्रताप जो प्रदर्श 3A राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं वोटर पहचान पत्र पेश किये हैं जिनमें प्रार्थी के पिता का नाम रामप्रताप अंकित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त रोही मौजा करनपुरा बारानी के खाता सं0 359/339 में मुश्तर्का खाता में प्रार्थी के पिता का नाम **"रामसिंह के स्थान पर रामप्रताप"** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22/01/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
भादरा (जिला-हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.02.28 11:51:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: